'कोयला घोटाले में ईडी की कार्रवाई सही'

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राज्य में हुए करीब 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले से जुड़ी ईडी की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। डिवीजन बेंच ने बुधवार को पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व आइएएस अधिकारी समीर बिश्नोई सहित अन्य आरोपितों की ओर से दाखिल याचिकाएं खारिज कर दीं। इसमें ईडी द्वारा संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी द्वारा मनी लांड्रिंग के तहत की गई 49.73 करोड़ की संपत्ति अटैच की कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं है। ईडी ने 30 जनवरी 2025 को 100 से अधिक संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। अटैच संपत्तियों में सूर्यकांत तिवारी के अलावा उनके स्वजन रजनीकांत, कैलाश, दिव्या व सौम्या चौरसिया के अलावा उनके भाई अनुराग, मां शांति देवी तथा पूर्व आइएएस समीर बिश्नोई की संपत्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट।● फाइल फोटो

- हाई कोर्ट ने खारिज की सौम्या, सूर्यकांत, बिश्नोई समेत अन्य की याचिका
- 49.73 करोड़ की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई को दी गई थी चुनौती